न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024 / 151

1. छीतरलाल आत्मज रामरतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा
2. कोशल्या बाई पुत्री रामरतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा
3. सुमित्रा बाई पुत्री रामरतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा
4. सुरेश पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलांटगण

बनाम

1. शिवराज आत्मज गिरधारी
2. सत्यनारायण आत्मज गिरधारी
3. मनीष पुत्र प्रकाश

जाति मीणा निवासीगण ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री श्यामलाल सुमन, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 01 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 28.08.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 100 / 2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा में अन्य भूमियां के साथ खसरा नम्बर 180 की 0–35 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 संलग्न है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी अपने भाईयों की सहमति काबिज काश्तकार चला आ रहा है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि को शांति पूर्वक काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा प्रार्थी के पास उपरोक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। उपरोक्त भूमि से प्रतिपक्षीगण का कोई सम्बन्ध है और न कभी सम्बन्ध रहा है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का गरीब कृषक है इस कारण प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर 180 की भूमि को लेकर काश्त करने में व्यवधान पैदा करते रहते है व लडाई झगडा करते रहते है। प्रार्थी दिनांक 20–10–2021 को उक्त भूमि पर गया तो प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को भूमि पर जाने से मना कर दिया व लडाई झगडा किया तथा प्रार्थी की बोई हुई फसल को जबरन हांक देने की धमकी। जब कि प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी की उक्त भूमि को हांकने व प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा । यह कि प्रार्थी का केस प्राईमा फैसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सभांवना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय है कि प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को वाके ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद की खसरा नं0 180 की 0.35 हैक्टर भूमि से बैदखल नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें, प्रार्थी को काश्त करने व उपयोग व उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करे व प्रार्थी को काश्त करने से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2024 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद की खसरा संख्या 180 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि अपीलांट वादी की शामलाती, कब्जे काश्त की भूमि है और अपीलांट वादी की उक्त भूमि पर नियमित रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2079 पेश की है, जिससे वादी अपीलांट खातेदार टीनेन्ट होना प्रमाणित है। अन्य सहखातेदारों ने उक्त भूमि पर अपीलांट/वादी को काश्त करने हेतु सहमति दे रखी है। निषेधाज्ञा के वाद में सभी सह–भागीदार काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। सभी खातेदारों की सहमति अपीलांट को दे रखी है और अपीलांट ही उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे और फसल जबरन हांक देने की धमकी देने लगे तब अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट के साथ व्यवधान पैदा करते है जिनको न्यायहित में रोका जाना आवश्यक है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांट के पिता ने उक्त भूमि को कभी बेचान नहीं किया

और ना ही किसी व्यक्ति को कभी कब्जा दिया। अधीनस्थ न्यायालय में जो तहरीर रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण ने पेश की है वह गलत, मिथ्या व संदेहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता पाने का अधिकारी नहीं है। जबकि उक्त भूमि धाकड़ जाति की है और उक्त भूमि का कभी बेचान नहीं हुआ, इस पर धारा 42 लागू नहीं होती है। और धारा 42 की परिधी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय में जो तहरीर पेश हुई है उसमें न तो खसरा नम्बर का अंकन है और ना ही भूमि का रकबा अंकित है। कितने बीघा जमीन विक्रय की है यह भी अंकित नहीं है। किसी प्रकार की भूमि का कोई अंकन नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में जो तहरीर पेश हुई है उस पर ना तो गवाह का अंकन है, किस किस के सामने प्रतिफल दिया है, यह भी अंकन नहीं है, तहरीर मिथ्या, झूंठी व बनावटी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा खाते की नकल, शपथ–पत्र, पजेशन बाबत पेश किया हुआ है, जिसका कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं कर, सरसरी तौर पर प्रार्थना–पत्र स्थगन खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को अपीलांट ने दस्तोवजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है इसके बावजूद भी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही रेस्पोडेन्टगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 180 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि से प्रार्थीगण अपीलांटगण को बेदखल नहीं करने तथा प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावें।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के पिता गिरधारी द्वारा सम्वत् 2045 में प्रतिफल अदा करके खरीद की गई है तथा बाद खरीद वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण के पिता तथा उनकी मृत्यु के पश्चात स्वयं रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। बेचान की तहरीर पर

अपीलांटगण के पिता एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र पक्षकारान के असंयोजन के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांटगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में बेचानशुदा आराजी पर रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया। रेस्पोडेन्टगण एवं उनके पिता का वादग्रस्त आराजी पर सम्वत् 2045 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांटगण द्वारा असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांटगण द्वारा भू–धाकर को भी पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अपीलांटगण द्वारा बेचान की तहरीर को किसी प्रकार की चुनौती सक्षम न्यायालय में नहीं दी गई है। अपीलांटगण जाति से धाकड़ है तथा रेस्पोडेन्टगण की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति में आती है तथा अप्रार्थीगण के पिता को बेचान कर देने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अनुसार अपीलांटगण राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता पाने के हकदार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार प्रार्थी के हक अधिकार वर्णित आराजी में समाप्त हो गये है। प्रार्थीगण अपीलांटगण का प्रकरण ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद की खसरा संख्या 0.35 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है तथा अप्रार्थीगण

रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं होने के बावजूद अपीलांट के खाते की भूमि में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करके जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने कथन के सम्बंध में अपीलांट ने जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वाके ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद की प्रश्नगत खसरा नम्बर 180 की भूमि अपीलांट छीतरलाल एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 180 की भूमि रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण के पिता गिरधारी आत्मज नन्दा की खरीदशुदा भूमि है जो उनके द्वारा सम्वत् 2045 को खातेदार बद्री व रामरतन से खरीद की गई है, खातेदार बद्री व रामरतन द्वारा विक्रय के पश्चात रेस्पोडेन्टगण के पिता गिरधारी को कब्जा सुपुर्द किया है तथा वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण के पिता तथा उनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्टगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपने कथनों के समर्थन में रेस्पोडेन्टगण द्वारा सादा कागज पर अंकित तहरीर पेश की है। उक्त तहरीर एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिस पर खसरा नम्बरान का भी अंकन नहीं है अतः उक्त तहरीर किस खसरा नम्बर की भूमि के सम्बंध में आलेखित की गई है, इसका निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। हमारे मत में उक्त सादा कागज पर अंकित तहरीर के आधार पर रेस्पोडेन्टगण के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत ही किया जाना संभव है। वर्तमान स्तर पर उक्त अनरजिस्टर्ड तहरीर के आधार पर वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्टगण के हक अधिकार प्रथम दृष्ट्या प्रकट नहीं होते है। जहां तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त का प्रश्न है, रेस्पोडेन्टगण ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना प्रकट होता हो। केवल मौखिक कथनों के आधार पर रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत अपीलांट वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है । कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि पर अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। चूंकि रेस्पोडेन्टगण ने स्वयं के कब्जे काश्त के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त माना जावेगा। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। हमारे मत में अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से

पाबन्द किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 100/2021 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2024 निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक अपीलांट के खाते की प्रश्नगत खसरा नम्बर 180 रकबा 0.35 हैक्टेयर में अपीलांट प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा